कार्यकारी सार

• भागीदारी फर्में (फर्में) व्यक्तियों के संगठन (एओपीज़) और व्यक्तिगत निकायों (बीओआईज़) के साथ भारत में कारपोरेट क्षेत्र से अलग प्रमुख व्यवसायों में से एक का गठन करती हैं। फर्में भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 द्वारा नियंत्रित हैं। आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) फर्मों को विभिन्न छूटें और कटौतियां प्रदान करता है। आयकर विभाग (आईटीडी) पर यह निरीक्षण करने की जिम्मेदारी है कि छूटें/कटौतियां प्राप्त करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया गया है। मौजूदा समीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह आश्वासन प्राप्त करना है कि आयकर विभाग की प्रणाली और प्रक्रियाएं, अधिनियम के प्रावधानों के सम्भावित दुरूपयोग के क्षेत्र में आवश्यक जांच/नियंत्रण करने के लिए आयकर विभाग में उचित तंत्र की मौजूदगी की तुलना में फर्मों के प्रावधानों के संबंध में पर्याप्त है।

• फर्म[1] की प्रत्यावर्तित आय निर्धारण वर्ष (नि.व.) 09 में ₹ 36,942 करोड़ से बढकर नि.व. 12 में ₹ 51,482 करोड़ हो गई। फर्मों ने 30.90 प्रतिशत[2] की दर पर आयकर का भुगतान किया, तथापि उनके मामले में प्रभावी कर दर केवल 23.80 प्रतिशत[3] है क्योंकि फर्म निर्धारितियों को कई कर रियायतें दी गई है। इसने फर्मों द्वारा किए गए दावों की तुलना में भागीदारी फर्मों को अनुमत छूटों/कटौतियों की सच्चाई की जांच को आवश्यक बना दिया।

• हमने फर्मों से संबंधित 27,944 निर्धारण अभिलेखों की मांग की जिनमें से आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुति के बाद हमने 26,328 अभिलेखों की लेखापरीक्षा की। हमने निर्धारण में प्रणालीगत, अनुपालन और नियंत्रण मामलों से संबंधित ₹ 328.04 करोड़ के कर प्रभाव वाले 1,497 मामलों को दर्शाया।

• हमने अधिनियम में विसंगतियों और स्पष्टता के अभाव को इंगित किया जिसके परिणामस्वरूप गलत निर्धारण और करों का कम उदग्रहण हुआ। इसके अलावा, हमने फर्मों को छूटों/कटौतियों की अनुमति में चूकों और उनके भागीदारों को अस्वीकार्य पारिश्रमिक/ब्याज को उजागर किया।

---

1 डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के अनुसार।

2 30 प्रतिशत जमा 3 प्रतिशत उपकर।

3 स्रोत:प्राप्ति बजट, वि.व. 14।

हमने निर्धारण की गुणवत्ता और आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कमियों को दर्शाने वाले आयकर विभाग के अनुपालन और आंतरिक नियंत्रण मामलों को भी उजागर किया।

- हमने ₹ 16.95 करोड़ कर प्रभाव वाले 937 मामलें देखे जिनमें निर्धारण अधिकारियों (एओज़) ने संबंधित निर्धारिती फर्मों के साथ भागीदारों की आय के रिटर्न की दोतरफा जांच/सह-संबंध नहीं किया था। एओज़ ने भागीदारी विलेख की प्रस्तुति/सत्यापन/प्रमाणीकरण के बिना वेतन और ब्याज के लिए फर्मों को कटौतियों की अनुमति दी। हमने यह भी देखा की फर्मों के भागीदारों ने अधिनियम की धारा 10(2ए) के तहत् अधिक छूट का दावा किया और भागीदार के पूंजीगत लेखा में आहरणों/डेबिट शेषों पर कोई ब्याज प्रभारित नहीं किया गया था (पैराग्राफ 2.3-2.8)

- हमने ₹ 65.72 करोड़ के कर प्रभाव वाले 227 मामलें देखे जिनमें आयकर विभाग ने (क) विलेख की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए पारिश्रमिक भुगतान पर व्यय, (ख) उन भागीदारों को पारिश्रमिक भुगतान पर व्यय जो फर्म के मामलों में सक्रियता से नही लगे हुए थे और (ग) पारिश्रमिक पर व्यय जोकि प्राधिकृत नही था या भागीदारी विलेख में निर्दिष्ट राशि से अधिक भुगतान किया गया था, की अनुमति दी थी। आयकर विभाग ने भागीदारों को ब्याज के भुगतान पर व्यय के लिए कटौती की भी अनुमति दी थी (क) जोकि भागीदारी विलेख में निर्धारित/प्राधिकृत दर से अधिक थी, (ख) जहां भागीदारी विलेख में निर्धारित दर अधिनियम के तहत प्रावधान की गई सीमा से अधिक थी और (ग) जो विलेख में प्राधिकृत नही थी। आयकर विभाग ने पूंजीगत लाभ, ब्याज आय और लाभ-हानि लेखा में दर्शाए गए लाभ के साथ दूसरे स्त्रोतों से आय को छोड़े बिना पारिश्रमिक के उद्देश्य के लिए बही लाभ की अनुमति दी थी। हमने यह भी पाया कि फर्में अपने भागीदारों को पारिश्रमिक/ब्याज के गैर-भुगतान के माध्यम से बढे हुए लाभों द्वारा अधिक छूट/कटौती प्राप्त कर रहे थे और आयकर विभाग ने अनुवर्ती वर्ष के सेवानिवृत/मृतक भागीदार से संबंधित हानियों को अग्रेनीत/प्रतिविरूपण की अनुमति दी थी। (पैराग्राफ 3.2-3.9)

- हमने ₹ 244.57 करोड़ के कर प्रभाव वाले 287 मामलों को पाया जहां निर्धारणों के दौरान अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था (पैराग्राफ 4.2-4.8)

- आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में हमने देखा कि आयुक्त, आयकर ने निर्धारण आदेशों के निरीक्षण/समीक्षाएं नही की थी। आयकर विभाग ने उनकी आंतरिक लेखापरीक्षा को महत्व नही दिया क्योंकि यह न ही किया गया था, न ही यह फर्म के निर्धारण अभिलेखों को कवर करता है। आयकर विभाग ने कर लेखापरीक्षा रिपोर्टों में उपलब्ध जानकरी का प्रभाविकता से उपयोग नहीं किया और विभिन्न कार्यों के प्रभावी नियंत्रण हेतु अपेक्षित अद्यतित रजिस्टरों का अनुरक्षण नहीं किया।

- भारत में फर्मों के निर्धारण को व्यवस्थित करने के मद्देनजर हमने प्रणालीगत मुद्दों, अधिनियम में असंगति और आयकर विभाग द्वारा अतिरिक्त नियंत्रण से संबंधित सिफारिशें की हैं जिन्हे 'सिफारिशों का सार' के तहत् और प्रत्येक अध्याय के अंत में रखा गया हैं।